



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2011/फाल्गुन 18, 1932

No. 424]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2011/PHALGUNA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2011

(आय-कर)

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करते के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2011 है।  
(2) ये तारीख 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घषक में,—  
(क) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(iv) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि पद्धति में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) हटाए नहीं गए हैं”;  
(ख) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
“(v) शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेगा कि पद्धति में एक बार रजिस्ट्रीकृत संव्यवहार (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) केवल वास्तविक गलती के मामलों में उपांतरित किए गए हैं और पद्धति में रजिस्ट्रीकृत सभी ऐसे संव्यवहारों (नकदी और व्युत्पन्नी बाजार की बाबत) जिन्हें उपांतरित किया गया है, के संबंध में डाटा बनाए रखेगा तथा आय-कर महानिदेशक (आसूचना), नई दिल्ली को प्ररूप सं. 3खख में एक मासिक विवरण, ऐसे विवरण से संबंधित प्रत्येक मास के अंतिम दिवस से पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।”
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घषख, उप-नियम (2) के खंड (iii) में “खंड (iv)” शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “खंड (v)” शब्द, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा।
- आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में, प्ररूप सं. 3खक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप सं. 3खख

(नियम 6घषक देखें)

“.....मास के लिए पद्धति में रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपांतरित किए गए ग्राहक कोड में संव्यवहारों की बाबत शेयर बाजार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला मासिक विवरण।

1. शेयर बाजार का नाम और पता : .....

2. स्थायी लेखा सं. : .....
3. संव्यवहारों के व्यौरे जिनमें पद्धति में रजिस्ट्रीकरण करने के पश्चात् उपांतरण किया गया है वे उपाबंध के रूप में एक सॉफ्ट कापी में परिवर्धित हैं।

## सत्यापन

मैं ..... इसके द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर जो विशिष्टियाँ दी गई हैं वे सही और पूरी हैं।

स्थान.....

शेयर बाजार के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख.....

नाम और पदनाम

## प्रारूप सं. उखख का उपाबंध

(साफ्ट कापी)

## व्युत्पन्नी बाजार

| क्र. सं. | संव्यवहार आईडी | दलाल का नाम और आईडी | मूल ग्राहक कोड | उपांतरित ग्राहक कोड | मूल ग्राहक का नाम | मूल ग्राहक का स्थायी ले.सं. | उपांतरित ग्राहक का नाम | उपांतरित ग्राहक का स्थायी ले.सं. | स्क्रिप्ट नाम | मात्रा | दर | संव्यवहार का कुल मूल्य | क्रय या विक्रय | संव्यवहार की तारीख |
|----------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|----|------------------------|----------------|--------------------|
| 1.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 2.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 3.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 4.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 5.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |

## नकदी बाजार

| क्र. सं. | संव्यवहार आईडी | दलाल का नाम और आईडी | मूल ग्राहक कोड | उपांतरित ग्राहक कोड | मूल ग्राहक का नाम | मूल ग्राहक का स्थायी ले.सं. | उपांतरित ग्राहक का नाम | उपांतरित ग्राहक का स्थायी ले.सं. | स्क्रिप्ट नाम | मात्रा | दर | संव्यवहार का कुल मूल्य | क्रय या विक्रय | संव्यवहार की तारीख |
|----------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|--------|----|------------------------|----------------|--------------------|
| 1.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 2.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 3.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 4.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |
| 5.       |                |                     |                |                     |                   |                             |                        |                                  |               |        |    |                        |                |                    |

[अधिसूचना सं. 14/2011/फा. सं. 142/25/2008-एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर योजना और विधान)

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. का.आ. 2820(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2010 द्वारा आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2010 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।